


दिनांक	आज्ञा पत्र
17.4.26	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रसपोडेंट के अधिवक्ता ने पीटारोनी अधिकारी महोदय आज... १७/४/२६ पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक ५.५.२६ को पेश हो
५.५.२६	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रसपोडेंट के अधिवक्ता ने पीटारोनी अधिकारी महोदय आज... ५/५/२६ पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक २१.५.२६ को पेश हो
२१.५.२६	पत्रावली पेश। अपीलाट/रसपोडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरुद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका हैं अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलाट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल इफतर हो।
	<p style="text-align: center;"></p> <p>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>